न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–द्वितीय, फिरोजाबाद।

उपस्थित: अतुल चौधरी, उच्चतर न्यायिक सेवा

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–159/2022

UPFD010091692022

Presented on : 07–10–2022
Registered on : 07–10–2022
Decided on : 25–05–2023

01– विजय प्रकाश मित्तल पुत्र स्व० सियाराम मित्तल निवासी 33, सरक्यूलर रोड, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद (मृतक)।

02– नरेन्द्र प्रकाश मित्तल पुत्र स्व० श्री सियाराम मित्तल निवासी 33 से 39 बी ब्लॉक, गणेश नगर, थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद।

..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

01– उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद

02–अनूप मित्तल पुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश मित्तल निवासी ए/8, न्यू नगला पदी, थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा

.....प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।

निर्णय

01– प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता में परिवाद संख्या–1117/2017 "अनूप मित्तल बनाम विजय प्रकाश मित्तल व अन्य" में विद्वान सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०–II, फिरोजाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.07.2022 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गई है। उक्त आलोच्य आदेश द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता व अन्य को धारा 420 दं०प्र०सं० में विचारण हेतु तलब किया है।

02– संक्षेप में इस प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या–02/ परिवादी अनूप मित्तल पुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश मित्तल ने प्रार्थना पत्र 156 (3) दं०प्र०सं० इस आशय का विद्वान अवर न्यायलाय में दाखिल किया था कि उनके पिता स्व० ओमप्रकाश मित्तल सात भाई क्रमशः सतीश प्रकाश, विजय प्रकाश, राजेन्द्र प्रकाश, नरेन्द्र प्रकाश, सुरेन्द्र प्रकाश व वेद प्रकाश थे। प्रार्थी के पिता को छोड़कर उक्त सभी भाईयों द्वारा एक जमीन गाटा संख्या 554 रकबा 13 विश्वा व गाटा संख्या 555 रकबा 1 बीघा 10 विस्वांसी, जिनकी नई

Digitally signed by Atul Chaudhary
Date: 2023.05.25 16:45:31 TLT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गाटा संख्या 29 घ तथा गाटा संख्या 38 रकबा 13 विश्वा कुल 2 बीघा 3 विस्वा स्थित मौजा ढौलपुरा तहसील व जिला फिरोजाबाद, पिरथी सिंह उर्फ परथी चन्द्र से खरीदी थी। जमीन खरीदते वक्त सुरेन्द्र प्रकाश व वेद प्रकाश नाबालिग थे तथा नाबालिक के दौरान सुरेन्द्र प्रकाश की मृत्यु हो गई। सुरेन्द्र प्रकाश की मृत्यु पश्चात जमीन छः भाईयों के नाम होनी चाहिये थे, लेकिन सुरेन्द्र प्रकाश के हिस्से की जमीन का बैनामा विजय प्रकाश, श्रीमती रमारानी, मुकेश कुमार ने संजीव प्रकाश व संजय प्रकाश के नाम फर्जी एवं धोखाधड़ी करके कर दिया। कथित बैनामे में इस बात का उल्लेख है कि सुरेन्द्र प्रकाश की मृत्यु के बाद उनका पुनरीक्षणकर्ता के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। यह झूठा व फर्जी कथन है। जब विपक्षी संख्या 02 ने सुरेन्द्र प्रकाश की जमीन में अपने पिता के हिस्से के बावत कहा तो पुनरीक्षणकर्ता व अन्य लोग आश्वासन देते रहे तथा धोखाधडी व षड़यन्त्र कर सुरेन्द्र प्रकाश की जमीन को बेच दिया।

विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर विजय प्रकाश मित्तल, नरेन्द्र प्रकाश मित्तल, वेद प्रकाश मित्तल, श्रीमती रमारानी, संजीव प्रकाश व संजय प्रकाश को धारा 420 भा०दं०सं० में तलब किया।

03– हस्तगत दाण्डिक पुनरीक्षण के माध्यम से पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। परिवाद पत्र में विपक्षी संख्या 02 अनूप मित्तल द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पुनरीक्षणकर्तागण ने उसके पिता की हिस्से की जमीन को हड़पकर बेच लिया है, जबकि उक्त जमीन में विपक्षी संख्या 02 के पिता स्व० ओमप्रकाश का कोई अंश नही है। दिनांक 15.12.1973 को प्रश्नगत जमीन पिरथी सिंह उर्फ पिरथीचन्द्र से क्रय की गयी, नाबालिग सुरेन्द्र प्रकाश व वेद प्रकाश के बली भाई सतीश प्रकाश बने थे। इस बैनामा में स्व० श्री ओम प्रकाश हिस्सेदार नही थे। विपक्षी संख्या 02 ने मूल वाद संख्या 466/2012 स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दायर किया है, जिसमें कथन किया कि विपक्षी संख्या 2 के पिता द्वारा जमीन खरीदने हेतु धन दिया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सका है और न ही प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत राजस्व अभिलेखों में स्व० ओमप्रकाश का नाम दर्ज है और न ही उन्होंने अपने जीवनकाल में अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने का प्रयास किया। उक्त सम्पत्ति सतीश प्रकाश, नरेन्द्र प्रकाश, विजय प्रकाश व राजेन्द्र द्वारा अपने स्व अर्जित धन से क्रय की थी, भावनावश नाबालिक भाइयों के नाम बैनामे में लिखाये गये थे। परिवादी द्वारा वाद संख्या 850/2015 सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया है जो प्रश्नगत सम्पत्ति के निरस्तीकरण के बावत है एवं एक अन्य सिविल वाद 736/2018 परिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया है, जो उदघोषणात्मक वाद है जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा बैनामा को निरस्त नही किया गया है और न ही विपक्षी की हिस्सेदारी को माना है। परिवाद का साक्षी धर्मदत्त शर्मा का पुनरीक्षणकर्तागण से को ताल्लुकानत नही, बिरादरी का नही और न ही कोई व्यापारिक सम्बन्ध है, इस कारण फर्जी गवाह पेश किया है। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर, अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 18.07.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

04– विपक्षी संख्या 01 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की

ओर से पुनरीक्षणकर्तागण के तर्कों का विरोध करते हुये यह कथन किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता, अशुद्धता या अनियमितता नही है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त आधार पर पुनरीक्षण निरस्त कर आलोच्य आदेश पुष्ट किये जाने का निवेदन किया गया।

05– विपक्षीसंख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नही आया न ही आपत्ति दाखिल की गई, जबकि विपक्षी संख्या 02 पर तामीला पर्याप्त है।

06– पुनरीक्षणकर्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

07– विधि यह है कि दांडिक पुनरीक्षण के अधीन अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षित तथ्यों पर तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक ऐसे तथ्यात्मक निष्कर्ष, पूर्णतयाः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न हो। पुनरीक्षण न्यायालय मात्र विधिक पहलुओं पर ही दृष्टिपात कर सकता है कि क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल है अथवा नहीं?

माननीय उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवस्था –**अमित कपूर प्रति रमेश चन्द्र (2012) 9 एस०सी०सी० 460** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 397 दं०प्र०सं० के तहत पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां सीमित हैं। पुनरीक्षण के स्तर पर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं की जा सकती है, परन्तु प्रत्येक न्यायालय का यह भी दायित्व है कि पक्षकारों के साथ वास्तविक न्याय हो। यदि किसी प्रकरण में अवर न्यायालय के आदेश से यह दर्शित होता है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नही है अथवा अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तत्व एवं साक्ष्य को दृष्टिच्युत करते हुये कोई आदेश, जो अनियमित है अथवा अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक वैवेविक शक्ति का प्रयोग न करते हुये कोई आदेश पारित किया है तब पुनरीक्षण न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करने हेतु स्वतन्त्र है।

08– जहाँ तक परिवाद में पुनरीक्षणकर्ता को तलब किये जाने सम्बन्धी विधिक स्थिति है तो विधि सुस्थिर हो चुकी है कि धारा 204 दण्ड प्रक्रिया के अधीन जारी आदेशिका के विरुद्ध पुनरीक्षण, पोषणीय है। **Dhariwal Tobacco Products Ltd. vs. State of Maharashtra, AIR 2009 SC 1032**

09– जहाँ तक हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का प्रश्न है, उक्त परिवाद में पुनरीक्षणकर्तागण विजय प्रकाश (मृतक), नरेन्द्र प्रकाश के साथ अन्य व्यक्ति वेद प्रकाश, श्रीमती रमारानी, संजीव प्रकाश व संजय प्रकाश को धारा–420 भारतीय दंड संहिता में विचारण हेतु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आहूत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 18.07.2022 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि "विपक्षीगण विजय प्रकाश, नरेन्द्र प्रकाश, वेद प्रकाश, श्रीमती

रमारानी, संजीव प्रकाश व संजय प्रकाश द्वारा के विरुद्ध धारा–420 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध प्रथम दृष्टया कारित किया जाना प्रतीत होता है।" परन्तु विद्वान अवर न्यायालय उक्त निष्कर्ष पर किन आधारों पर पहुँचा, उनको आक्षेपित आदेश में विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा अंकित नही किया गया है। उक्त निष्कर्ष में इस बात का भी कोई उल्लेख नही है कि परिवादी की ओर से दाखिल परिवाद पत्र का समर्थन परिवादी व उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा किया गया है अथवा नहीं एवं विद्वान अवर न्यायालय ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया अथवा नहीं, क्योंकि मात्र बयान अंकित करा दिये जाने से ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

10– धारा 204 दं०प्र०सं० के तहत यदि मजिस्ट्रेट की राय में पत्रावली पर आदेशिका जारी करने हेतु पर्याप्त आधार है तो वह परिवाद पर संज्ञान लेकर अभियुक्तगण के विरुद्ध आदेशिका जारी कर सकती है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये आदेशिका जारी करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **Pepsi Foods Ltd. Vs. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749** में अवधारित किया गया है कि–

> "Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal law cannot be set into motion as a matter of course. It is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion. The order of the Magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the facts of the case and the law applicable there to. He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence both oral and documentary in support thereof and would that be sufficient for the complainant to succed in bringing charge home to the accused. It is not that the Magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning of the accused. The Magistrate has to carefully scrutinize the evidence brought on record and may even himself put questions to the complainant and his witnesses to elicit answers to find out the truthfulness of the allegations or otherwise and then examine if any offence is prima facie committed by all or any of the accused.''

11– विधि सुस्थिर है कि छल का अपराध गठित करने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता को यह दिखाना आवश्यक है कि आरोपी का वादा या प्रतिनिधित्व करते समय कपटपूर्ण या बेईमानी कारित करने का इरादा था। तलबी आदेश करने से पूर्व अपेक्षित है कि अवर न्यायालय परिवाद पत्र के तथ्यों व अन्य साक्ष्य का मूल्यांकन कर यह विनिश्चय करे कि कथित अभियुक्त को जिन आरोप में तलब किया जाना है, उस आरोप के आवश्यक अवयव पत्रावली पर उपलब्ध हैं अथवा नहीं। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में

कथित आरोप के आवश्यक अवयवों का मूल्यांकन किये बगैर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो विधि के प्रतिकूल है एवं स्थिर रहने योग्य नही है।

उभयपक्ष के मध्य प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उक्त सिविल प्रकृति के वाद, विपक्षी संख्या 02/परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद को दाखिल करने से पूर्व सक्षम न्यायालय में संस्थित किये गये हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को विपक्षी संख्या 02/परिवादी द्वारा न तो परिवाद पत्र में, न ही अपने धारा 200 दं०प्र०सं० के बयान में अंकित कराया है और न ही विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत लम्बित सिविल वाद के सम्बन्ध में कोई जाँच की है। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो खण्डित होने योग्य है।

12– अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य, उसके विश्लेषण व उल्लिखित विधि व्यवस्था के आधार पर यह निष्कर्षित हो रहा है कि विद्वान अवर न्यायालय ने तथ्य परक वैध आदेश पारित नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधि सम्मत परिशीनल न करते हुये विधिक त्रुटि कारित की, इसलिये उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित 18.07.2022 स्थिर रहने योग्य नहीं है, बल्कि खण्डित किये जाने योग्य है। फलस्वरुप पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ता नरेन्द्र प्रकाश मित्तल द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण 159/2022 स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 1117/2017 " अनूप मित्तल बनाम विजय प्रकाश मित्तल आदि" में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–18.07.2022 अपास्त किया जाता है।

इस निर्णय की प्रति, तलबशुदा पत्रावली के साथ विद्वान अवर न्यायालय को उपरोक्त प्रेषणों के अन्तर्गत नवीन आदेश पारित किये जाने के लिये पुनः प्रेषित हो।

दाण्डिक पुनरीक्षण पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहीत की जाये।

दिनांक–25.05.2023

(अतुल चौधरी)
J.O. Code UP 1618
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–द्वितीय, फिरोजाबाद।

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– 25.05.2023

(अतुल चौधरी)
J.O. Code UP 1618
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–द्वितीय, फिरोजाबाद।